

पुत्र मनी लाल, निवासी माहल्ला
ऋषि नगर, फिल्लौर, किशन सिंह
गुरी पुत्र कृष्ण कुमार, धर्मागम सिंह
उदर जूनी पुत्र सदीप सिंह तथा संदीप
सिंह पुत्र कानन सिंह, सभी फिल्लौर
क्षेत्र के निवासी, के रूप में बताई गई
है। पुलिस ने बरामदगी को मामले की
जांच का हिस्सा बताते हुए आरोपियों
से पूछताछ शुरू कर दी है।

अदालत ने बताया कि आरोपियों को
पुलिस रिमांड हासिल कर उनसे
बरामद हथियार व नशीली गोलियों के
संबंध में पूछताछ की जाएगी। जांच
के दौरान यह पता लगाने का प्रयास
किया जाएगा कि हथियार और नशीली
गोलियां उन्हें कहाँ से मिलीं।